रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1974/चैत्र 6, 1896
No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1974/CHAITRA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1974

S.O. 215(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), read with the notification of the Government of India in the late department of Commerce and Industry No. 801 dated the 24th March, 1905, the Railway Board hereby makes the following rules further to amend the rules published with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. TCIII/3036/58/Notification dated the 28th August, 1958, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railways (Rules for Warehousing and Retaining of Goods, for Regulating the use of Rolling Stock, Engines and Trains and Treatment and Disposal of Unclaimed Booked Goods Luggage and Parcels) Amendment, Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the first day of April, 1974.

2. **Amendment of Rule 5.**—In Rule 5, of the Rules for Warehousing and Retaining of goods, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely—

(d)(i) The following charges shall be levied for the period the luggage or parcels remain in a cloak room:

For the First four days	30 paise per package per 24 hours or part thereof.	
For the next four days	40 paise	-Do-
For the next four days	50 paise	-Do-
For subsequent days	60 paise	-Do-

(ii) The charges specified in sub-clause (i) shall be calculated from the time the packages are deposited in the Cloak room, which will be noted on the Left Luggage Ticket given to the person depositing such packages.

NOTE.—For the purpose of this rule, Sundays, Independence Day and Republic Day will not be considered as 'dies-non'.

3. **Amendment of Rule 6.**—In rule 6 of the Rules for Regulating the use of Rolling Stock, Engines and Trains, in the Table, under the heading "Demurrage on Goods Wagons" against item (iv), for the entries under columns 1, 2 and 3, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

1	2	3
On wagons ordered and waiting to be loaded with coal by consignors at Colliery Sidings.	(a) *Where pilot to pilot system of working is in force*— From the time wagons are placed at the Colliery Siding up to the time of visit of the next pilot or train engine irrespective of the time intervals, subject to a minimum time interval of five working hours or such extended free time as is allowed to Groups of Box Wagons, vide entry under column 2, pertaining to item (i) of the Table.	Rs. 50 per four-wheeled wagon per day or part of a day.
	(b) *In all other cases.* Five working hours or such extended free time as is allowed to Groups of Box wagons, vide entry under column 2, pertaining to item (i) of the Table.	

4. **Amendment of Rule 17.**—In Rule 17, of the Rules regarding Treatment and Disposal of Unclaimed Booked Goods Luggage and Parcel, in sub-rules (a) and (b), for the words "one month", the words 'seven days' shall be substituted.

[No. TCI/217/73/1]

A. L. GUPTA, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1974

एस० ओ० 215 (**अ**).— भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० 801 दिनांक 24 मार्च, 1905 के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा 1 के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 28 अगस्त, 1958 की अधिसूचना सं० टी० सी–111/3036/53—नोटिफिकेशन में प्रकाशित नियमों में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—1. ये नियम, (चल-स्टाक, इंजन और गाड़ियों के प्रयोग और लावारिस बुक किये गये माल, सामान और पार्सलों के प्रतिपादन और निबटारे के विनियम के लिए माल के भाण्डागारण और प्रतिधारण के लिए) रेलवे संशोधन नियम, 1974 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये अप्रैल, 1974 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 5 का संशोधन**:—नियम 5 में, माल के भाण्डागारण और प्रतिधारण नियमों के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

जिस अवधि के लिए सामान और पार्सल (घ) (1) अमानती सामान घर में रखा जाये उसके लिए निम्नलिखित प्रभार उद्गृहीत किये जायेंगे :

पहले चार दिनों के लिए—30 पैसे प्रति पैकेज हर 24 घंटे या उसके अंश के लिए

अगले चार दिनों के लिए—40 पैसे प्रति पैकेज हर 24 घंटे या उसके अंश के लिए

अगले चार दिनों के लिए—50 पैसे प्रति पैकेज हर 24 घंटे या उसके अंश के लिए

उसके बाद के दिनों के लिए—60 पैसे प्रति पैकेज हर 24 घंटे या उसके अंश के लिए

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट प्रभारों की गणना अमानती सामान घर में पैकेज जमा किये जाने के समय से की जायेगी, जो कि इस प्रकार के पैकेज जमा करने वाले व्यक्ति को दिये गये **अमानती सामान टिकट** पर अंकित कर दिया जायेगा ।

टिप्पणी.—इस नियम के लिए, रविवार, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को "छुट्टि दिवस" नहीं माना जायेगा ।

3. **नियम 6 का संशोधन.**—चल-स्टाक, इंजन और गाड़ियों के प्रयोग के विनियमन से सम्बन्धित नियमों के नियम 6 की सारणी में "माल डिब्बों का बिलम्ब शुल्क" शीर्षक के नीचे मद iv में कालम 1, 2 और 3 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी; अर्थात् :—

1	2	3
	(क) जहां काम की पायलट से पायलट प्रणाली लागू हो—	
आदिष्ट माल डिब्बों पर जो कोयला साइडिंगों में परिस्थितियों द्वारा कोयला लादने के लिए, प्रतीक्षारत हो ।	माल डिब्बों के कोयला साइडिंग पर लगाये जाने के समय अगले पायलट अथवा गाड़ी इंजन के आने के समय तक अंतराल का विचार किये बिना, लेकिन काम के पांच घंटों का न्यूनतम अंतराल या बढ़ाया गया निःशुल्क समय ऐसा हो जैसा कि सारणी के कालम 2 के	50 रुपये प्रति चौबहिया माल डिब्बा प्रति दिन अथवा दिन का कोई अंश

1	2	3
	अन्तर्गत मद (i) से सम्बन्धित प्रविष्टि के अनुसार बी० ओ० एम० माल डिब्बों के समूहों के लिए भी अनुमेय है ।	
	(ii) अन्य सभी मामलों में :—	
	पांच कार्य-घंटे अथवा ऐसा बढ़ा हुआ निःशुल्क समय जैसा कि सारणी के कालम 2 के अंतर्गत मद संख्या (i) से सम्बन्धित प्रविष्टि के अनुसार बी० ओ० एम० माल डिब्बों के समूहों के लिए अनुमेय है ।	

4. **नियम 17 का संशोधन.**— लावारिस रुके किये गये माल और पार्सलों के प्रतिपादन और निबटारे से संबंधित नियमों के नियम 17 के उप-नियम (क) और (ख) में "एक महीना" शब्दों के स्थान पर "सात दिन" प्रतिस्थापित किये जायंग ।

[सं० टी० सी० 1/217/73/1]

अमृत लाल गुप्ता, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974